स्वत्व वाद सं0–2/14–4218/14

<u>आ दे श</u>

13.2.15–

पत्रावली आज आवेदक के आवेदन दिनांक– 11.12.14 पर आदेश हेतु प्रस्तुत हुई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन दिनांक– 11.12.14 के आलोक में बहस प्रस्तुत किया है कि स्व0 धनराज पाल के अंगूठा का जॉच कर विशेषज्ञ प्रतिवेदन न्यायालय में दाखिल किया गया है। यह प्रतिवेदन Vague,पक्षकार के मेली एवं बनावटी है। आवेदक इस जांच प्रतिवेदन का Revetal साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सका ,जब कि उसने इस आशय का एक आवेदन दिनांक–17.11.11 को दिया था ,परन्तु बहस सुनने के पश्चात् भी तत्कालिन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा गुण–दोष के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया और आवेदन को दिनांक– 3.9.13 को संचालित नहीं करने के कारण खारिज कर दिया गया। अतः उन्होंनें निवेदन किया है कि धनराज पाल के अंगूठा का जांच प्रतिवेदन का रिबटल साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु उन्हें अवसर दिया जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रतियुत्तर दिनांक– 5.1.15 के आलोक में बहस प्रस्तुत किया है कि आवेदक का आवेदन दिनांक– 17.11.11 इसी न्यायालय ने दिनांक–3.9.13 को खारिज कर दिया ,ऐसी परिस्थिति में इस बिन्दू पर कोई दूसरा आदेश पारित किया जाता है तो वह प्रांग न्याय के सिद्धांत से बाधित होगा। उन्होंने बल देते हुये तर्क प्रस्तुत किया है कि स्व0 धनराज पाल का अंगूठा निशान की जांच न्यायालय ने सरकारी संस्था अंगुलांग ब्यूरो अपराध अनुसंधान विभाग ,बिहार पटना से कराया। ऐसी स्थिति में निवेदन किया है कि दूबारा धनराज पाल के अंगूठा निशान का जॉच प्रतिवेदन की मांग किया जाना न्याय हित एवं विपक्षी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः निवेदन है कि आवेदक का आवेदन खारिज किया जाय।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया,जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक जगरनाथ पाल का आवेदन ,धनराज पाल की अंगूठा निशान विशेषज्ञ से जॉच,हेतु दिनांक– 17.11.11 को प्रस्तुत किया गया। आदेश दिनांक– 3.3.13 से स्पष्ट है कि पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। आवेदन प्रचालित न होने के कारण खारिज किया गया। इस आदेश से स्पष्ट है कि आवेदक के आवेदन दिनांक– 17.11.11 पर बिना गुण–दोष पर विचार किये ही तत्कालिन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा ऐसा आदेश पारित किया गया है। मेरे विचार से न्याय हित में वाद के पक्षकारों को सभी

<u>लगातार</u>
13.2.15

साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किया जाना उचित है,जिससे वाद का निष्पादन गुण–दोष के आधार पर हो सके।

अतः उक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में स्व0 धनराज पाल के अंगूठा निशान पर विपक्षी के तरफ से प्रस्तुत विशेषज्ञ जांच प्रतिवेदन का साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक अवसर आवेदक को मिलना उचित होगा। अतः न्याय हित में वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर करने हेतु आवेदक का आवेदन दिनांक– 11.12.14 स्वीकार किया जाना उचित है। तद्नुसार आवेदक का आवेदन दिनांक– 11.12.14 स्वीकार किया जाता है।

दिनांक– 3.3.15 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

ह0/–

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
तृतीय,कैमूर।